माननीय न्यायाधीश मेहताब एस. गिल और माननीय न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के समक्ष

राम गोपाल - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

2007 सी.डब्ल्यू.पी. की संख्या 7744
30 अक्टूबर 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1971-हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1974-हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995-हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) नियम, 2003-1971 अधिनियम और 1974 के नियम निरस्त - एस.एस. मास्टर, गवर्नमेंट सहायता प्राप्त निजी स्कूल की सेवाओं की अवसान - 1995 अधिनियम और 2003 के नियमों के लागू होने के बाद अवसान - 2003 के नियमों के नियम 87 के तहत आवश्यक विभाग की मंजूरी लेने में स्कूल का प्रबंधन असफल रहा - निदेशक द्वारा पारित आदेश कानून में धारणीय नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया।

अभिनिर्धारित किया कि पिछले अधिनियम और नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में प्रबंधन का रुख समझने योग्य है क्यूँकि जैसा की वे, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करना चाहते थे और इसके के लिए उक्त अधिनियमों और नियमों का लाभ उठाना चाहते थे , लेकिन यह हरियाणा राज्य के लिए उचित नहीं है कि वह इसी तरह का रुख अपनाए जो कि क़ानून के विपरीत है और सार्वजनिक नीति को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं करता है। यह वस्तुतः कह रहा है कि हरियाणा राज्य द्वारा जो क़ानून बनाया गया है वह अस्तित्वहीन और अप्रवर्तनीय है।

(पैरा 10)

अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय हरियाणा राज्य के अनुचित रुख पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता। न्यायालय को कानून के अनुसार आदेश पारित करना होगा और केवल इसलिए कि जिस राज्य ने वास्तव में क़ानून पारित किया है वह यह नहीं कह रहा है कि उस पर क़ानून का प्रभाव है, और जहां यह लागू है , वहाँ उस क्षेत्र में इस क़ानून की प्रयोज्यता कम नहीं हो जाती है।

(पैरा 11)

अभिनिर्धारित किया गया की हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 25 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1971 को निरस्त कर दिया गया है। 1995 के अधिनियम, यानी हरियाणा राज्य शिक्षा नियम, 2003 के तहत बनाए गए नियम 30 अप्रैल, 2003 को अधिसूचित किए गए थे और इसलिए उस तारीख पर लागू थे जब याचिकाकर्ता की सेवाएं अवसान कर दी गई थीं जो की हैं 30 जून, 2003 को की थी ।इसे देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं, हरियाणा राज्य शिक्षा अधिनियम, 1955 की अधिसूचना पर 20 जुलाई, 2001 को लागू होने के बाद और 30 अप्रैल 2003 को अधिसूचित हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003, जिन्हे 1995 अधिनियम के तहत बनाया गया, वह याचिकाकर्ता के मामले पर लागू होगा। इसलिए, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2004 को पारित आदेश धारणीय नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाता है।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ता के वकील यशदीप सिंह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. मलिक।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी हरियाणा।

प्रतिवादी नंबर 4 के वकील प्रीतम सैनी।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश

1. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, dहरियाणा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2007 अनुलग्नक पी-7 को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट का निर्गमन की प्रार्थना कर रहा है, जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांकित है 3 जून, 2005 को अपास्त कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कैथल, जो एक सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल है, में विधिवत गठित चयन समिति द्वारा सामाजिक अध्ययन मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 30 जुलाई, 2000 के पत्र द्वारा नियुक्त किया गया था। परिवीक्षा अवधि के दौरान, दिनांक 3 जून, 2003 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कैथल के प्रबंधन द्वारा समाप्त कर दी गईं। उनकी नियुक्ति की तिथि पर हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 1971 (इसके बाद 1971 अधिनियम के रूप में संदर्भित) और हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1974 (इसके बाद 1974 नियम के रूप में संदर्भित) लागू थे। हालाँकि, 30 जुलाई, 2001 की अधिसूचना के माध्यम से, हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 को लागू किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 25 में पहले के अधिनियम को निरस्त करने का प्रावधान है जो इस प्रकार है:-

"25. हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा सुरक्षा) अधिनियम 1971 (हरियाणा अधिनियम संख्या 10, 1971) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।"

3. हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 8 के तहत, किसी भी कर्मचारी को निदेशक या उसके नामित व्यक्ति की पूर्व मंजूरी के बिना सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 1995 की धारा 8(2) इस प्रकार है:-

" 8(2) : इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, किसी मान्यता प्राप्त निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, रैंक में कमी नहीं की जाएगी और अन्यथा न ही उसकी निदेशक या उसके नामांकित व्यक्ति की पूर्व मंजूरी के बिना सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी:
बशर्ते कि यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां कर्मचारी को उस आचरण के आधार पर बर्खास्त किया जाता है, हटाया जाता है या पद से घटाया जाता है और जिसके कारण उसे नैतिक अधमता से जुड़े आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है।"

4. हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 (इसके बाद 1995 अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत, हरियाणा राज्य ने हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 (इसके बाद 2003 नियम के रूप में संदर्भित) बनाए, जिन्हें 30 अप्रैल, 2003 को अधिसूचित किया गया था। उक्त नियम परिवीक्षा के मामलों से संबंधित है जो इस प्रकार है:-

"87. प्रत्येक कर्मचारी प्रारंभिक नियुक्ति पर, एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और किसी कर्मचारी की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त की जा सकती हैं, यदि कार्य और आचरण उक्त अवधि के दौरान कर्मचारी का, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में संतोषजनक नहीं है। ऐसे मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्पीकिंग आदेश दिए जाएंगे:

बशर्ते कि परिवीक्षा पर किसी कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी विभाग की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी स्कूल द्वारा नहीं की जाएगी।

यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी का कार्य और आचरण संतोषजनक पाया जाता है, तो उसे परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, की समाप्ति के दिनांक से प्रभावी रूप से स्थायी कर दिया जाएगा।"

5. उपरोक्त नियमों के आधार पर याचिकाकर्ता का तर्क है कि यद्यपि जब उनकी नियुक्ति हुई थी यानी 30 जुलाई, 2000 को तो उनकी सेवाएँ हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1971 और इसके तहत नियम बनाए गए हैं यानी हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1974, के प्रावधानों द्वारा शासित थीं। लेकिन हरियाणा

स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के प्रभावी होने के साथ, याचिकाकर्ता की सेवाएं उक्त अधिनियम और नियमों के तहत शासित होंगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 को 20 जुलाई, 2001 को अधिसूचित किया गया था और हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 को 30 जुलाई, 2003 को अधिसूचित किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाएं 30 जून, 2003 को समाप्त कर दी गई थीं, इसलिए, यह अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियम याचिकाकर्ता के मामले पर लागू होने थे। पहले के 1971 अधिनियम और उसके तहत बनाए गए 1974 के नियमों का याचिकाकर्ता के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. 30 जून, 2003 को स्कूल के प्रबंधन द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने पर, याचिकाकर्ता ने अपील दायर की। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपील पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया कि हरियाणा शिक्षा नियम, 2003 के नियम 87 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन को विभाग की मंजूरी की बहुत आवश्यकता थी और चूंकि उक्त मंजूरी अपीलकर्ता की सेवाएँ समाप्त करने से पहले विभाग द्वारा न तो माँग की गई और न ही अनुमति दी गई, याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त करने का आदेश रद्द कर दिया गया।

7. इसके बाद, स्कूल प्रबंधन, प्रतिवादी संख्या 4 ने, निदेशक स्कूल शिक्षा, हरियाणा (प्रतिवादी संख्या 2) के समक्ष अपील दायर की, उनके आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 2007 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 ने उनकी अपील स्वीकार कर ली और प्रबंधन ने जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल द्वारा पारित आदेश दिनांक 3 जून, 2005 को रद्द कर दिया। इस आदेश की प्रति संलग्नक पी-7 के रूप में संलग्न है। यह वह आदेश है जिसे याचिकाकर्ता ने इस आधार पर चुनौती दी है कि अपीलीय प्राधिकारी यानी निदेशक स्कूल शिक्षा प्रतिवादी नंबर 2 ने कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और अधिनियम और नियमों के प्रावधान। जिन्हें निरस्त कर दिया गया है, उससे याचिकाकर्ता के मामले पर लागू कर दिया ।

8. नोटिस जारी होने पर, प्रतिवादी ने रिट याचिका का जवाब दायर किया है। रिट याचिका में जो तथ्य पेश किये गये हैं उन्हें विवादित नहीं किया गया। उत्तरदाताओं का कहना है कि याचिकाकर्ता परिवीक्षा के अधीन था और उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी गई थी और इसलिए, उसकी समाप्ति की तारीख यानी 30 जून, 2003 को भी याचिकाकर्ता, अभी भी परिवीक्षा पर था। याचिकाकर्ता की सेवाएँ हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवाओं की सुरक्षा) नियम, 1974 द्वारा शासित होती हैं, जिसे हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सुरक्षा सेवा) अधिनियम, 1971 के तहत तैयार किया गया है और उनकी नियुक्ति की तिथि यानी 30 जून, 2000 को यह नियम लागू थे। हरियाणा राज्य ने यह भी दावा किया है कि 1971 अधिनियम और उसके तहत बनाए गए 1974 नियम याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति की तारीख यानी 30 जून, 2003 को नियंत्रित करते हैं।

9. हमने पार्टियों के वकील को सुना है और उनकी सहायता से उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम और नियमों के तथ्यों और प्रावधानों का अध्ययन किया है।

10. यह अजीब लग सकता है कि हरियाणा राज्य अपने द्वारा बनाए गए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत रुख अपना रहा है और निरस्त 1971 अधिनियम और 1974 नियमों को लागू करने के लिए दबाव डाल रहा है। यह स्वीकार किया गया है कि हरियाणा सहायता प्राप्त (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1971 को हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 25 के अनुसार निरस्त कर दिया गया था, जिसे 20 जुलाई, 2001 को अधिसूचित किया गया था। आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 जो कि हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 के तहत बनाए गए हैं, 30 अप्रैल, 2003 को अधिसूचित किए गए थे और 2003 के उक्त नियमों के लागू होने के साथ पहले के नियम यानी हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1974 समाप्त हो गए हैं। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं 30 जून, 2003 को समाप्त कर दी गई थीं और उक्त तिथि पर न तो 1971 अधिनियम और न ही उसके तहत बनाए गए 1974 नियम क़ानून की किताब में थे। यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ता की सेवाएँ उक्त अधिनियम और नियमों द्वारा कैसे शासित हो सकती हैं? पिछले अधिनियम और नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में प्रबंधन का रुख समझ में आता है क्योंकि वे याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए उक्त अधिनियमों और नियमों का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन यह हरियाणा राज्य को शोभा नहीं देता है की वह ऐसा ही रुख अपनाएं जो इस विधान के विपरीत हो और सार्वजनिक नीति को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं करता है। यह वस्तुतः कह रहा है कि हरियाणा राज्य द्वारा जो विधान बनाया गया है वह अस्तित्वहीन और अप्रवर्तनीय है।

11. न्यायालय हरियाणा राज्य के अनुचित रुख पर अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता। न्यायालय को कानून के अनुसार आदेश पारित करना होगा और केवल इसलिए कि जिस राज्य ने वास्तव में क़ानून पारित किया है वह यह नहीं कह रहा है कि उस पर क़ानून का प्रभाव है, और जहां यह लागू है , वहाँ उस क्षेत्र में इस क़ानून की प्रयोज्यता कम नहीं हो जाती है।

12. हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 25 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1971 को निरस्त कर दिया गया है। 1995 के अधिनियम, यानी हरियाणा राज्य शिक्षा नियम, 2003 के तहत बनाए गए नियम 30 अप्रैल, 2003 को अधिसूचित किए गए थे और इसलिए उस तारीख पर लागू थे जब याचिकाकर्ता की सेवाएं अवसान कर दी गई थीं जो की हैं 30 जून, 2003 को की थी ।इसे देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की सेवाएं, हरियाणा राज्य शिक्षा अधिनियम, 1955 की अधिसूचना पर 20 जुलाई, 2001 को लागू होने के बाद और 30 अप्रैल 2003 को अधिसूचित हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003, जिन्हे 1995 अधिनियम के तहत बनाया गया, वह याचिकाकर्ता के मामले पर लागू होगा। इसलिए, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2004 को पारित आदेश धारणीय नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाता है।

13. प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ तुरंत बहाल करने का निर्देश जारी किया जाता है। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को परिणामी लाभ वितरित किया जाएगा। हालाँकि, उत्तरदाताओं के लिए कानून के अनुसार नए आदेश पारित करना खुला होगा।

14. यह याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रिशक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़